

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & 05964-225234

पत्रांक:- 7272/12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 25 अप्रैल, 2026।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ में चण्डाक मैला तड़ीगाँव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.935 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० 10700/2015)।

सन्दर्भ:- उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 157/X-4-15/1(64)/2015, दिनांक 30.03.2015 6617/12-1 दिनांक 02.05.2025 व पत्रांक 809/12-1 दिनांक 16.08.2023।

महोदय,

उपरोक्त उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र के क्रम में इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्रों द्वारा विषयक प्रकरण की अनुपालन आख्या पूर्व में प्रेषित की गयी है, जिसमें वर्तमान तक विधिवत स्वीकृति अपेक्षित है। पुनः अनुपालन आख्या समस्त प्रमाण पत्रों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है-

S.NO	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.87 हे० सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षों का यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों पर समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्मायित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात् ही प्रदान की जा रही स्वीकृति निर्गत मानी जायेगी।	नोडल खण्ड कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड के पत्रांक 1546/ एन०पी०वी० दिनांक 27.05.2015 द्वारा UTR NO SBIN 215147701748 Date 27.05.2015 द्वारा आवश्यक धनराशि ₹० 2655665.00 (एन०पी०वी० हेतु ₹० 1352565.00 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 503100.00 एवं पथ वृक्षारोपण हेतु ₹० 800000.00) जमा की जा चुकी है। भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण जिलाधिकारी के पत्र सं० 1446/सात-95/2014-15 दिनांक 20.07.2015 को 3.870 हे० को हस्तान्तरण नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त भूमि को संरक्षित वन घोषित करने सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही कर दी गयी है।
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों पर समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जाएगी।	मार्ग के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि जमा कर दी गई है।
3.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अंतर्गत आई०ए०सं०-566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या -5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिए गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।	नोडल खण्ड कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड के पत्रांक 1546/ एन०पी०वी० दिनांक 27.05.2015 द्वारा UTR NO SBIN 215147701748 Date 27.05.2015 द्वारा आवश्यक धनराशि ₹० 2655665.00 (एन०पी०वी० हेतु ₹० 1352565.00 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 503100.00 एवं पथ वृक्षारोपण हेतु ₹० 800000.00) जमा की जा चुकी है। साथ ही प्रस्तावक द्वारा एन०पी०वी० की बढ़ी हुई दरों पर भी शेष धनराशि (₹० 1303048.00 मात्र) जमा कर दी गयी है।
4.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है (संलग्न)।

5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या-5-3 /2007- एफ0सी0, दिनांक 05.02. 2009 के तहत दिए गये आदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी अलग निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0-एस0बी0-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकर्म), ब्लॉक-11 भूतल सी0जी0ओ0 कॉम्प्लेक्स फेज-01 लोधी रोड नई दिल्ली- 110003 में जमा कराने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति जमा की गई। धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराए जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	एन0पी0वी0, प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशि की पावती की छायाप्रति व ड्राफ्ट की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।	भू-वैज्ञानिक की शर्तें मान्य होने का प्रमाण पत्र संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	वन अधिकार अधिनियम 2006 के समस्त अभिलेख संलग्न है।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा प्रस्ताव में नीहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है
9.	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।

अतः उपरोक्त कम में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।
संलग्न:-चार प्रतियों में।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

संख्या:-7272 /12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोकनिर्माण विभाग
पिथौरागढ़।

E-mail - pdpwpdpth@rediffmail.com

पत्रांक /

दिनांक 20 / 4 / 2026

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग पिथौरागढ़।

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ में चण्डाक मैला तडीगाँव मो0मार्ग के निर्माण हेतु 1.935 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु।

सन्दर्भ:- ऑन लाइन में प्राप्त ई0डी0एस0 की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

ऑन लाइन में प्राप्त ई0डी0एस0 की अनुपालन के क्रम में पूर्व में प्रेषित अनुपालन आख्या को मय संलग्नकों के पुनः प्रेषित किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि उक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

संलग्नक उरोक्तनुसार। (घांन्व-2 प्रतिशे में)
अनुपालन आख्या के प्रभागीय पत्र 2026

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़।

पत्रांक 970 / 22 थानों

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून उत्तराखण्ड।
2. जिलाधिकारी पिथौरागढ़।
3. सहायक अभियन्ता तृतीय प्रा0ख0लो0नि0वि0 पिथौरागढ़।
4. खण्डीय अमीन प्रा0ख0लो0नि0वि0 पिथौरागढ़।

अधीक पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com, Fax/ 05964-225234

पत्रांक: 4516/12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 17 जनवरी, 2026।

सेवा में

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय-

जनपद पिथौरागढ़ में ग्राम तडीगांव, तहसील पिथौरागढ़ के अन्तर्गत चण्डाक मैला मोटर मार्ग का तडीगांव मोटर मार्ग तक विस्तार, निर्माण हेतु 1.935 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में चयनित सी०ए० क्षेत्र को संरक्षित वन घोषित किये जाने के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० 10700/2015)।

सन्दर्भ-

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 3094/12-1 दिनांक 30.06.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में प्रभावित 1.935 हे० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश सं० 1446/सात-95/2014-15 दिनांक 20.07.2015 द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम तडीगांव, तहसील पिथौरागढ़ के खाता सं०-35 श्रेणी 9(3)ड (बंजर काबिल आबाद) खेत नं० 797 रकवा 0.381 हे०, 799 म० रकवा 0.144 हे०, 801 म० रकवा 1.981 हे०, 820 म० रकवा 1.003 हे०, 821 म० रकवा 0.361 हे० अर्थात् कुल 3.87 हे० सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तांतरण/नामान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रस्तावित भूमि में कोई भी ऐतिहासिक स्थल, मंदिर/मस्जिद/ कब्रिस्तान/चारागाह/पनघट आदि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

वन विभाग को हस्तांतरित/नामान्तरित की गई उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 यथासंशोधित (केंद्रीय अधिनियम सं० 16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा(1) के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किये जाने हेतु अधिसूचना के ड्राफ्ट का प्रारूप हिन्दी/अंग्रेजी में एवं डिजिटल एवं जियोरिफेंस मैप तथा प्रस्ताव की सॉफ्ट कॉपी ई-मेल द्वारा इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त नामान्तरित/हस्तांतरित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 यथासंशोधित (केंद्रीय अधिनियम सं० 16 वर्ष 1927) की धारा-29 की उपधारा-01 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किये जाने के सम्बन्ध में अग्रोत्तर कार्यवाही किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न:- यथोक्त।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,

पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़

संख्या:- 4536/12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,

पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & 05964-225234

पत्रांक:- 6617 /12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 02, मई, 2025।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ में चण्डाक मैला तड़ीगोंव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.935 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० 10700/2015)।

संदर्भ:- प्रस्तावक विभाग/प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० पिथौरागढ़ का पत्रांक 654/22याता दिनांक 22.04.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि विषयक प्रकरण में एन०पी०वी०, सी०ए० एवं अन्य मदों में पूर्व में जमा की गयी धनराशि परिवेश पोर्टल अंतर्गत Paid Show हो चुकी है तथा वर्तमान में विधिवत स्वीकृति अपेक्षित है।

अवगत कराना है कि प्रकरण में एन०पी०वी० की नवीन दरों के आधार पर शेष धनराशि भी प्रस्तावक विभाग द्वारा जमा की जा चुकी है, जो कि इस कार्यालय के पत्रांक 7119/12-1 दिनांक 23.04.2024 द्वारा पूर्व में सूचित किया गया है। साथ ही प्रकरण की अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 809/12-1 दिनांक 16.08.2023 द्वारा पूर्व में प्रेषित की गयी है।

उक्त आख्याएं पुनः संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण में विधिवत स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

संलग्न:- यथोक्त।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

संख्या:- 6617 /12-1 दिनांकित।

- प्रतिलिपि:-
1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
 2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, पिथौरागढ़ को उपरोक्त क्रम में इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण की अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल में भी अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

प्रमाण पत्र-1


कार्य का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में चण्डाक मैला तडीगॉव मो0मार्ग के निर्माण हेतु 1.935 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन ।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग की शर्त मान्य है के पक्ष में प्रस्तावित भूमि के बदले 3.870 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षो का यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि(वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथा संसोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। तथा 6 माह में आरक्षित/ संरक्षित वन भूमि घोषित किष जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात ही प्रदान की जा रही स्वीकृति निर्गत मानी जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि नोडल खण्ड, अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड देहरादून के पत्रांक 1546/एन0पी0वी0 दि0-27-05-2015 द्वारा UTR No SBIN 215147701748 से आवश्यक धनराशि रू0 2705975.00 (एन0पी0वी0 हेतु रू0 1352565.00 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 553410.00 एवं पथ वृक्षारोपण हेतु रू0 80000.00) जमा की जा चुकी है।

एवं बढी हुई दरों पर एन0पी0वी0 हेतु रू0 1920956.00 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 1559345.00 कुल रू0 3480301.00 की धनराशि भी उत्तरांचल कैम्पा के खाता सं0-150896140805902 में चालान द्वारा जमा करा दी गई है।



चयनित भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण जिलाधिकारी के पत्र सं0 1446/सात-95/2014-15 दि0-20-07-2015 द्वारा 3.870 हे0 को हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की स्वीकृति प्राप्त है। खसरा खतौनी की नकल अपलोड की गई है।


अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

प्रमाण पत्र -2

कार्य का नाम:- जलपट्ट पिथौरागढ़ में चण्डाक मैला तडीगॉव मो0मार्ग के निर्माण हेतु 1.935 हे0 वन भूमि का गैर बानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन ।


प्रमाणित किया जाता है प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित दृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि(वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथा संसोधित) जमा की जायेगी। की शर्त मान्य है।


अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
 पिथौरागढ़

प्रमाण पत्र -3

कार्य का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में चण्डाक मैला तडीगॉव मो0मार्ग के निर्माण हेतु 1.935 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन ।

प्रमाणित किया जाता है प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन (सिविल) 202 /1995 के अन्तर्गत आई0ए0एस0-556 एवं भारत सरकार पत्र सं0-5-3/2007-एफ0सी0 दि0-05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि नोडल खण्ड अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड देहरादून के पत्रांक 1546/एन0पी0वी0 दि0-27-05-2015 द्वारा UTR No SBIN 215147701748 से आवश्यक धनराशि रू0 2705975.00(एन0पी0वी0 हेतु रू0 1352565.00 एवं क्षतिपूरक वृक्षरोपण हेतु रू0 553410.00 एवं पथ वृक्षारोपण हेतु रू0 80000.00) जमा की जा चुकी है। एवं बढी हुई दरों पर एन0पी0वी0 हेतु रू0 1920956.00 एवं क्षतिपूरक वृक्षरोपण हेतु रू0 1559345.00 कुल रू0 3480301.00 की धनराशि भी उत्तरांचल कैम्पा के खाता सं0-150896140805902 में चालान द्वारा जमा करा दी गई है। की शर्त मान्य है।


अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

प्रमाण पत्र -4

कार्य का नाम:— जनपद पिथौरागढ़ में चण्डाक मैला तडीगोंव मोडमार्ग के निर्माण हेतु 1.935 हे० वन भूमि का नैर खानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन ।

प्रमाणित किया जाता है प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय हेतु बचन बद्ध है कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। की शर्त मान्य है।

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
पिथौरागढ़

प्रमाण पत्र -5

कार्य का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में चण्डाक मैला तडीगोंव मो0मार्ग के निर्माण हेतु 1.935 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन ।



प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0-5-3/2007-एफ0सी0,दि0-05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी अलग निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0-एस0बी0-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक-11 भूतल सी0जी0ओ0कॉम्प्लेक्स फेज-01 लोधी रोड नई दिल्ली-110003 में जमा कराने के उपरान्त ही मावली की छायाप्रति जमा की गई। धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0,क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण, तथा अन्य देय धनराशि का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी। का विवरण संलग्न है। की शर्त मान्य है।

अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

प्रमाण पत्र -6

कार्य का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में चण्डाक मैला तडीगाँव मो०मार्ग के निर्माण हेतु 1.935 हे० वन भूमि का सैर चानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन ।



प्रमाणित किया जाता है प्रसोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं सू-वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा। की शर्त मान्य है।


अधिशारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
 पिथौरागढ़

प्रमाण पत्र -7

कार्य का नाम:- जनापद पिथौरागढ़ में चण्डाक मैला तडीगॉव मो0मार्ग के निर्माण हेतु 1.935 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन ।



प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।की शर्त मान्य है।


अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
 पिथौरागढ़

प्रमाण पत्र -8

कार्य का नाम: ज्ञानमद पिथौरागढ़ में चण्डाक मैला तडीगॉव मो0मार्ग के निर्माण हेतु 1.935 हे0 वन भूमि का गैर वास्तविकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन ।



प्रमाणित किया जाता है प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार,पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। की शर्त मान्य है।


अधिसात्री अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि
 पिथौरागढ़

प्रमाण पत्र -9

कार्य का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में चण्डाक मैला तडीगाँव मो0मार्ग के निर्माण हेतु 1.935 हे0 वन भूमि का सैर चानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन ।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी। की शर्त मान्य है।


अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
 पिथौरागढ़

आदेश

संख्या- 3346

दिनांक- 21/7/15

32 पानों

वन एवं वनांतरण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन देहरीदेग एवं चौरादेग एत
गण्डाव गांधी गण्डाव व गण्डाव निम्नलिखित मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित दंगुनी सिविल मू-
का नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की संज्ञा
स्वीकृति निम्नानुसार निम्न की गयी है।

क्र. सं.	योजना का नाम	ग्राम/ पट्टी का नाम	दंगुनी भूमि का क्षेत्रफल	सिविल	रीढ़ान्तिक स्वीकृत निर्गत पत्र संख्या
1	रिजवाली-चिमताली-जमलडी	कतोगांव/बरीराठ	5220 है०		121/X-4-15/1(33)/2015 दिनांक 27.03.2015
2	रिजवाली-जोशपुरा	गांधी/सुकोली	5940 है०		174/X-4-15/1(85)/2015 दिनांक 01.04.2015
3	चण्डाव-मईला-तडीगांव	तडीगांव/धनौडा	3870 है०		157/X-4-15/1(64)/2015 दिनांक 30.03.2015
4	काठगांव-सरीकाण्डा	गोगना/गोगना	9660 है०		152/X-4-15/1(63)/2015 दिनांक 30.03.2015
			24.690 है०		

राजस्व अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार उक्त क्रमांक 01 एवं 04 में अंकित मोटर मार्ग निर्माण में आ रही वन भूमि के बदले उप जिलाधिकारी पिथौरागढ़ की सहगति/संरक्षित के आधार पर उक्त ग्रामों की कुल 24.690 है० सिविल, वृक्षविहिन भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार पिथौरागढ़ स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।

दिनांक जुलाई 16, 2015

(सुशील कुमार)

जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या- 1446/सात-95/2014-15

दिनांक जुलाई 20, 2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रभागाय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
2. प्रगारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।
4. उप जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
5. तहसीलदार पिथौरागढ़ को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

AE 112/V/3017

वृत्त का कार्य
नाम लिखें।

Handwritten signature/initials

(सुशील कुमार)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

उद्धरण/नकल खतौनी (गैर जमींदारी विनाश) फसली 1419
 ग्राम- तड़ीगॉव रा0 उप निरी0 क्षेत्र -धनौड़ा तहसील व जिला पिथौरागढ़।
 श्रेणी- 9(3)ड कृषि योग्य बंजर भूमि (बंजर काबिल आबाद)

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम/पिता का नाम और निवास स्थान	भौतिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	प्रत्येक खाते के गाटे का खसरा नम्बर	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल	खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उसकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाला अधिकारी का पद	विवरण विशेष
1	2	3	4	5	6	7-12	13
35	बंजर काबिल आबाद (उत्तराखण्ड सरकार)	1374 फ0पू0	3 4 6 16 17 ↓ 781 783 797 799 801 803 807 814 818 820 821 837 ↓ 2748 2758 2763 2765 ↓ 3738 3741 3743	0.005 0.005 0.702 0.421 0.071 ↓ 0.216 0.241 0.381 0.241 2.101 1.043 0.411 0.070 0.035 2.387 0.361 0.033 ↓ 0.021 1.314 0.155 0.065 ↓ 0.019 0.144 0.196		राजस्व अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 2173/XVIII(II)/2012-13(120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार के क्रम में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ के पत्र संख्या-1446/सात-95 /2014-15 दिनांक जुलाई 20, 2015 के खेत नं0-797 रकवा 0.381हे0, 799म0 रकवा 0.144हे0, 801म0 रकवा 1.981हे0, 820म0 रकवा 1.003हे0, 821म0 रकवा 0.361हे0 कुल 3.870हे0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण अमलदरामद किया। ह0अरमद राजस्व उपनिरीक्षक धनौड़ा	
		योग-	397	44.485हे0	-	-	-

महोदय देवा/विप,

(गोपाल सिंह डीबिद्या)
 राजस्व उप निरीक्षक-धनौड़ा
 तहसील व जिला- पिथौरागढ़।
 03/06/2014



Handwritten notes in Hindi, possibly describing the area or providing instructions related to the map.

Handwritten notes in Hindi, possibly describing the area or providing instructions related to the map.

322

Handwritten signature or name in blue ink.

Handwritten notes in Hindi, possibly describing the area or providing instructions related to the map.

Handwritten notes in Hindi, possibly describing the area or providing instructions related to the map.

ना
सुंदर



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून



Office of the Executive Engineer, Construction Division, P.W.D., Dehradun, Uttarakhand
Website-http://pwd.uk.gov.in E-mail: eecdpwdddn@rediffmail.com

पत्रांक / एन०पी०वी०

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
भूमि संवर्क्षण निदेशालय, वन विभाग,
हादिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

दिनांक/दिनांक 20/05/2015
लोक, लो० नि० वि० वि० वि०
क्रमांक 3240
दिनांक 14/7/15
कार्य क्र. 22410

विषय - वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारत सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में एन०पी०वी०/क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य देय धनराशि के भुगतान के संबंध में।

संदर्भ - इस कार्यालय का पत्रांक 1546/एन०पी०वी०, दिनांक 27-05-2015.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में वित्तीय वर्ष 2015-16 में लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड की सड़कों के लिये एन०पी०वी०/क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य देय धनराशि ₹ 7,46,28,097.00 (₹ सात करोड़ छियालीस लाख अठ्ठाईस हजार सत्तानब्बे) मात्र का भुगतान संदर्भित पत्र द्वारा किया जा चुका है, जिसका H.T.R. No. SBIN215147701748 की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

R.N. 3240/22410. 15/7/15

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

हस्ताक्षर

(वाई०एन० राजवंशी),
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
देहरादून।

11/6
7-15

कास

पत्रांक 1687 / एन०पी०वी०

दिनांक 6/6/2015.

- प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -
- 1- महालेखाकार, लेखा एवं लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, औवरॉय मॉर्टर्स, सहारनपुर रोड, भाजरा, देहरादून।
 - 2- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
 - 3- आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, पौड़ी/नैनीताल।
 - 4- प्रमुख अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून।
 - 5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-1, लो०नि०वि०, देहरादून।
 - 6- मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, लो०नि०वि०, देहरादून/पौड़ी/अल्मोड़ा/हल्द्वानी।
 - 7- अधीक्षण अभियन्ता 12 वॉ वृत्त, लो०नि०वि०, सिविल वृत्त अल्मोड़ा (1)/नैनीताल (2)/पिथौरागढ़ (3)/हल्द्वानी (4)/गोपेश्वर (7)/देहरादून (9)/पौड़ी (12)/लो०नि०वि० अधीनस्थ खण्डों को सूचना देकर अतिवृत्त करने का कष्ट करेंगे।

अधीक्षण अभियन्ता
वृत्त लो०नि०वि०
पिथौरागढ़

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
देहरादून।

1/11/2015 दि० 9-6-2015

कार्यवाही के लिये लो०नि०वि० विभाग पिथौरागढ़ / अल्मोड़ा / नैनीताल

महायुक्त अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०
पिथौरागढ़

अधीक्षण अभियन्ता
वृत्त लो०नि०वि०



भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India
With you - all the way

e-PayOrder Details
e-PayOrder Number CN36244196
Debit Status Success
Scheduled Time 27-May-2015 [12:00 AM] IST

27-May-2015

Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal
Seven Crores Forty Six Lakhs Twenty Eight
Thousand Ninety Seven only 7,46,28,097.00

00000010901749156

DEHRADUN
"CN36244196"

316208SFTPUSER
Maker

Jagat Singh Chauhan
Authorizer 1

010027051542796

Counterfoil Description	E01002127051542794		
Transaction Type	NEFT Funds transfer		
Debit Account Details			
Account No.	Branch	Amount	
00000010901749156	DEHRADUN	7,46,28,097.00	
Credit Account Details			
Beneficiary Name/Account No.	Bank/Branch/IFSC Code	Amount	Credit Status UTR No.
Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal/037100101025229	NEW DELHI LODHI COMPLEX/CORPORATION BANK/CORP0000371	7,46,28,097.00	Fund settled by RBI with beneficiary Bank SBIN215147701748

फोटो अर्थ प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
प्र०/४० लो० मि० पि०
पिपरागढ़

अनुसू-22, लेखाशीर्षक 5054-04-800-05-00-24 (आयोजनागत)

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	मार्ग/परियोजना का नाम	क्षेत्रफल (है०)	जनपद	अपर प्रमुख नोडल अधिकारी एवं मुख्य निगरान तथा अन्य पत्रों का संदर्भ जिनके द्वारा एनपीओएन की धनराशि जमा करने के निर्देश पाए हुए हैं।	एनपीओएन की देय धनराशि	दाता वृक्षारोपण की देय धनराशि	पथ वृक्षारोपण की देय धनराशि	मूल्य निस्तारण	योग (का. 6+7+8+9)
1	गंगासा-उड़ीसहादेव-शैलापानी-भिकियासैण-मरचूला मो० मार्ग।	13.842	अल्मोड़ा	5	6	7	8	9	10
2	अल्मोड़ा-देघाट-खल्लुवा मो० मार्ग का चौकीकरण एवं सुधारीकरण।	0.015	अल्मोड़ा		0	0	0	44855	13053006
3	भिव्यासैण-विनायक मो० मार्ग का चौकीकरण एवं सुधारीकरण।	0.080	अल्मोड़ा		52560	80000	11944	0	144504
4	काण्डा-जंठाई मो० मार्ग से गुरना बागशहर दफाट मो० मार्ग।	1.820	बागशहर		1537900	520520	800000	0	2858420
5	रायपुर ब्लाक के नालापानी मार्ग से कोटालगांव मो० मार्ग।	0.9625	देहरादून		0	0	174890	0	174890
6	अगलीगड से दुधई तक मो० मार्ग।	2.8184	देहरादून		2646478	332784	0	0	3379262
7	जनपद देहरादून के अन्तर्गत सेलाकुई में केन्द्रीय भूमि एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान को लोज पर दो गई 136.08 है० वन भूमि में से हिमगिरी नव विश्वविद्यालय शीशमबाड़ा देहरादून के पहुँच मार्ग का निर्माण।	0.4320	देहरादून		383184	470000	482000	0	1335184
8	चण्डाक-मैरूला-तडीगांव मो० मार्ग।	1.935	पिथौरागढ़	अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून का पत्र संख्या 3162/1-41-4 देहरादून दि० 07.05.2015	1352565	553410	800000	0	2705975
9	नाथर-कुमल्ला से गंगोलीगड मो० मार्ग। (नया अनुमानित गणना)	0.819	पिथौरागढ़		734643	0	800000	0	1534643
10	काटेगांव-साईखोला-सेरीकाण्डा मो० मार्ग।	4.830	पिथौरागढ़		4332510	1381580	2000000	0	7713890
11	अडकिनी-जलबुडी मो० मार्ग।	0.982	पिथौरागढ़		889406	0	500000	0	1389406
12	मण्डरीगांव-रजवार-बोकटा-धुरली मो० मार्ग।	3.870	पिथौरागढ़		3471390	1106820	2000000	0	6578210
13	सिलोनी-विमताली-मैसढूंगा-मडोडा-चौरा-जमतडी मो० मार्ग।	2.610	पिथौरागढ़		2341170	746460	1200000	0	4287630
14	चण्डाक-बांस मो० मार्ग (पोखरी) से रतवाडी तखरोडा मो० मार्ग।	0.955	पिथौरागढ़		667545	0	1800000	0	2467545
15	रोडीपाली-रसियापाटा मो० मार्ग।	2.295	पिथौरागढ़		2058615	656370	1000000	0	3714985
16	आपदाप्रस्त एंबोली-जाख-पुरान मो० मार्ग।	2.970	पिथौरागढ़		2076030	849420	820000	0	3745450
17	आपदाप्रस्त बड़ावे-उपडणा-फुसरखाली-गोधागैर-खर्कगैर मो० मार्ग।	0.270	पिथौरागढ़		242190	0	400000	0	642190

कोश प्रसिद्धि

सहायक अधिकारी

वा.सं. लो० लि० दि०
पिथौरागढ़

अनुसंधान- 22, लेखाशीर्षक 5054-04-800-05-00-24 (आयोजनागत)

मार्ग/परियोजना का नाम

क्र. सं.	मार्ग/परियोजना का नाम	क्षेत्रफल (है.)	जनपद	(धनराशि ₹ में)					योग (क्र. सं.)	
				अपर प्रमुख नोडल अधिकारी एवं मुख्य वनसंरक्षक द्वारा रूप में रु. तदनु किंगले द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि जमा करने हे निर्देश प्राप्त हुए है।	एन0पी0वी0 की देय धनराशि	दृष्टांतरण की देय धनराशि	पथ वृक्षारोपण की देय धनराशि	मनुवा निस्तारण		
18	माह (मरसोली) मो0 मार्ग।	3	विशौरगढ़	726570	0	400000	8	9	10	6+7+8+9
19	आपदाप्रस्त कनालीछीना से ल्वांठी मो0 मार्ग।	0.810	विशौरगढ़	1453140	0	600000	0	0	0	1126570
20	सौरगढ़-चौपड़ा-बटगांव-बवाई मो0 मार्ग का निर्माण।	3.227	रुद्रप्रयाग	2727153	0	1400000	0	0	0	2516460
21	अलकनन्दा नदी पर निरवाली-धारकोट में झूलापुल का निर्माण।	0.030	रुद्रप्रयाग	197100	0	0	0	0	0	4966277
22	खुजीर बैण्ड से चौकी बर्सिल एवं खुजीर बैण्ड-चौकी बर्सिल से तमिल्ल सेतुराखाल मो0 मार्ग का विस्तार।	0.990	रुद्रप्रयाग	650430	0	0	0	0	0	367100
23	सेरा-खरगढ़-बांसी-कोटली-रौद्रिक-जवाड़ी-उलासू-मत्यासू मो0 मार्ग का निर्माण।	8.908	रुद्रप्रयाग	7051484	0	0	0	0	0	650430
24	जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत मक्कू सम्पर्क मो0 मार्ग।	0.074	रुद्रप्रयाग	625300	1001780	0	0	0	0	7051484
5	मनुवा गधेरा (सुवाकोट-पोखरी) में 11 मी0 लम्बाई में पैदल पुल का निर्माण।	0.800	नैनीताल	75120	0	245553	0	0	0	1627086
6	ग्राम जखोल के निकट सांवनी में रूपिन नदी के ऊपर 80 मी0 लम्बी झूला पुल का निर्माण।	0.211	उत्तरकाशी	138500	0	102492	0	0	0	320673
कुल योग:- (क्र0सं0 1 से 26 तक)				45516177	15530206	15536879	44835	74628097		

फाईल नं0 25 बजट शीट-01 दि0 16.05.2015

अब आवंटित धनराशि: ₹ सात करोड़ छियालीस लाख अठ्ठाईस हजार सतानब्बे मात्र।

(Handwritten Signature)

(एच0के0 उप्रती)

प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

(Handwritten Signature)


(Handwritten Signature)

सहायक अभियन्ता

आ0सं0 लो0 लि0 दि0
क' पिबोरसब

चिपक से मोला रुडीगांव)

AGENCY COPY

यूनियन बैंक  Union Bank of India
आंध्र प्रदेश शाखा

SARAFI
Andhra

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds
Date : 20-03-2024

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6110700636
MoEF/SG File No.	1(64)/15
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PD PWD PITHORAGARH GHANTAKARAN DISTT PITHORAGARH 262501Pithoragarh
Amount(in Rs)	1303048/- ✓


Amount in Words :Thirteen Lakh Three Thousand and Forty-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896110700636 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक  Union Bank of India
आंध्र प्रदेश शाखा

SARAFI
Andhra

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds
Date : 20-03-2024

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6110700636
MoEF/SG File No.	1(64)/15
Location.	UTTARANCHAL
Address:	PD PWD PITHORAGARH GHANTAKARAN DISTT PITHORAGARH 262501 Pithoragarh
Amount(in Rs)	1303048/-

Amount in Words :Thirteen Lakh Three Thousand and Forty-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896110700636 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

चिपक से मोला रुडीगांव) 16-2-24

चिपक से मोला रुडीगांव) 16-2-24


Executive Engineer
Provincial Divn. P.W.D.
Pithoragarh
Code No.- 1112


Executive Engineer
Provincial Divn. P.W.D.
Pithoragarh
Code No.- 1112

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfo: pithoragarh@rediffmail.com Fax & 05964- 225234

पत्रांक:— 4-11 /12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 25 जुलाई, 2022।

सेवा में,

✓ अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 पिथौरागढ़

पत्रांक 2911
दिनांक 27/7/22
फाइल नं० 22/11/20

विषय— ✓ जलपद पिथौरागढ़ में चण्डाक से भैइला तडीगांव मोटर मार्ग का निर्माण प्रस्ताव में एन0पी0वी0 की नवीन संशोधित दर के अनुसार धनराशि जमा किये जाने के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं०: FP/UK/ROAD/10700/2015)।

संदर्भ :- भारत सरकार की पत्र सं० 5-3/2011-FC दिनांक 06.01.2022।

उपरोक्त विषयक प्रकरण में अवगत कराना है कि भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा एन0पी0वी0 के दरों में संशोधन किये जाने के क्रम में एन0पी0वी0 की संशोधित दरों के अनुसार संशोधित धनराशि जमा की जानी अतिवार्थ है। अतः उक्त के क्रम में एन0पी0वी0 की नवीन दरों के अनुसार संशोधित डिमाण्ड नोट आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र० सं०	मद	इकाई	दर	कुल धनराशि	पूर्व में जमा धनराशि	जमा किये जाने योग्य शेष धनराशि (in Rs.)
1	एन0पी0वी0	1.935 हे०	1372410 /- (ईको क्लास-VI) घनत्व 0.4	2655613.35 /-	1352565 /-	1303048.35 या 1303048.00

कृपया उक्त डिमाण्ड नोट ऑन लाइन अपलोड कर भारत सरकार के सन्दर्भित आदेश के क्रम में शेष धनराशि नियमानुसार कैम्पा कोष में जमा कराना सुनिश्चित करें।

डा. प्रदीप जन्मभि
सहायक

10/7/22
अ.प्र.

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

ग्राम- तड़ीगाँव

उद्धरण/नकल खतौनी (गैर जमींदारी विनाश)
रा0 उप निरी0 क्षेत्र -धनौड़ा

फसली 1419

तहसील व जिला पिथौरागढ़।

श्रेणी- 9(3)ख कृषि योग्य बंजर भूमि (बंजर काबिल आबाद)

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम/पिता का नाम और निवास स्थान	भौगिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	प्रत्येक खाते के गाटे का खसरा नम्बर	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल	खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उसकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाला अधिकारी का पद	विवरण विशेष
1	2	3	4	5	6	7-12	13
35	बंजर काबिल आबाद (उत्तराखण्ड सरकार)	1374 फ0पू0	3 4 6 16 17 ↓ 781 783 797 799 801 803 807 814 818 820 821 837 ↓ 2748 2758 2763 2765 ↓ 3738 3741 3743	0.005 0.005 0.702 0.421 0.071 ↓ 0.216 0.241 0.381 0.241 2.101 1.043 0.411 0.070 0.035 2.387 0.361 0.033 ↓ 0.021 1.314 0.155 0.065 ↓ 0.019 0.144 0.196		राजस्व अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 2173/XVIII(II)/2012-13(120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार के क्रम में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ के पत्र संख्या-1446/सात-95 /2014-15 दिनांक जुलाई 20, 2015 के खेत नं0-797 रकवा 0.381हे0, 799न0 रकवा 0.144हे0, 801न0 रकवा 1.981हे0, 820न0 रकवा 1.003हे0, 821न0 रकवा 0.361हे0 कुल 3.870हे0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण अमलदरामद किया। ह0अस्पष्ट राजस्व उपनिरीक्षक धनौड़ा	
		योग-	397	44.485हे0	-		

महोदय देव/मि/

(गोपाल सिंह डीनिया)
राजस्व उप निरीक्षक-धनौड़ा
तहसील व जिला- पिथौरागढ़।
03/06/2017

आदेश

3346
21/7/15
23 मीटर

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 पर्यटन/आरक्षण शाखा गढ़वाल एवं पंचोत्तरांचल क्षेत्र वन विभाग भारत सरकार के पक्षों द्वारा निर्मित/निर्मित ग्राटर मार्ग हेतु परिसीमा निर्धारण/संशोधन/संशोधन/संशोधन का वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण का वन वन भूमि हस्तान्तरण का संशोधन स्वीकृति निम्नानुसार निर्यात की गयी है।

क्र. सं.	योजना का नाम	ग्राम/ पट्टी का नाम	वामुनी भूमि का क्षेत्रफल	सिद्धि	संशोधित स्वीकृत निर्गत पत्र संख्या
1	शिलानी-विमानरती-जमदानी ग्राटर मार्ग	उदोगांव/ बवातड	5.220 हे०		121/X-4-15/1(331)/2015 दिनांक 27.08.2015
2	एराही-जाखपुरा ग्राटर मार्ग	माता/ सुहाती	8.940 हे०		174/X-4-15/1(345)/2015 दिनांक 01.04.2015
3	शंकर-महेला-तडीगांव ग्राटर मार्ग	तडीगांव/ धन्ना	3.870 हे०		157/X-4-15/1(343)/2015 दिनांक 30.03.2015
4	आटगांव-सरीकाण्डा	नागना/ नागना	9.060 हे०		152/X-4-15/1(332)/2015 दिनांक 30.03.2015
योग-			24.090 हे०		

राजस्व अनुभाग-2 के शारनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्रावधानों के अनुसार उक्त क्रमांक 01 एच 04 में अंकित ग्राटर मार्ग निर्माण में आ रही वन भूमि के बदले उप जिलाधिकारी पिथौरागढ़ की सहमति/संरक्षित के आधार पर उक्त ग्रामों की कुल 24.090 हे० सिद्धि, वृक्षपहित भूमि क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार पिथौरागढ़ स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।
दिनांक जुलाई 16, 2015

(सुशील कुमार)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।
संख्या-1446/सात-95/2014-15

दिनांक जुलाई 20 2015

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
 2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
 3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।
 4. उप जिलाधिकारी पिथौरागढ़।
 5. तहसीलदार पिथौरागढ़ को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

AEH/WV/2015 R.N. 3346/22 vni. 12. 22/7/15

वृषज कुमार
नामिही ले.

(सुशील कुमार)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

Handwritten signature and initials.

